

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] No. 13] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018 ⁄पौष 15, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2018

सं. 01/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 14(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2017- सीमा शुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 1341 (अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

क्रम सख्या 157 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20% या 100 रु. प्रति किलो., जो भी अधिक हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 354/123/2017-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

119 GI/2018 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2018

No. 01/2018-Customs

G.S.R. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment, in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 82/2017-Customs, dated the 27th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1341(E), dated the 27th October, 2017, namely:—

Against S. No. 157, for the entry in column (4), the entry "20% or Rs. 100 per kg., whichever is higher", shall be substituted.

[F. No. 354/123/2017-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.